

पत्र संख्या-सी0/ई0एच0-80/2016...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,

उच्च न्यायालय, पटना।

पटना दिनांक.....

विषय:- श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता संख्या-07 के सहायतार्थ सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता संख्या-07 के पत्र, दिनांक-21.09.2017 से प्राप्त अनुशंसा के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता संख्या-07 के सहायतार्थ पूर्व से नियुक्त सहायक अधिवक्ता श्री सुशान्त प्रवीर (1599/2010) को सहायक अधिवक्ता के पद पर की गई नियुक्ति से विमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री अभिषेक सिंह, (1795/2012) को सहायक अधिवक्ता के रूप में विधि विभागीय अधिसूचना सं0-7156/जे0, दिनांक-06.12.2016 की कंडिका-9 एवं 10 के आलोक में अनुशंसा पत्र की तिथि- 21.09.2017 के प्रभाव से नियुक्त करने की कृपा की है।

2. सहायक अधिवक्ता के रूप में इनकी सेवा इनके वरीय अधिवक्ता के सह-विस्तारी (CO-terminus) अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक सीमित रहेगी।

3. सहायक अधिवक्ता को वही शुल्कादि देय होगा जो विधि विभागीय पत्रांक-484/जे0, दिनांक-01.10.2012 द्वारा पूर्व से निर्धारित है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....31.03..../जे0, पटना, दिनांक....28/11/17.....,

प्रतिलिपि:- श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता संख्या-07, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सी0-2, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।
